संख्या- I/1484992/2026 /006-9-7099-173-2022

प्रेषक,

पारस नाथ,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7 **लखनऊ : दिनांक 05 अक्टूबर, 2026**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में "कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना" के अन्तर्गत विभिन्न नगर निकायों को पशु शेल्टर होम्स/गौशाला/कांजी हाउस में रखे गये निराश्रित गोवंशों के चारे-भूसे की व्यवस्था हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

"कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना" के अन्तर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों में कान्हा गौशाला/पशु शेल्टर होम्स की स्थापना की गयी है। शासन द्वारा कांजी हाउस/ कान्हा गौशाला/ पशु शेल्टर होम्स में रखे गये निराश्रित गोवंशों के चारे-भूसे आदि की व्यवस्था किये जाने हेतु समय-समय पर निकायों को अनुदान दिया जाता है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में "कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजनान्तर्गत" उपलब्ध धनराशि में से निम्नांकित तालिका में अंकित निकायों में संचालित कांजी हाउस/ कान्हा गौशाला/ पशु शेल्टर होम्स मे रखे गये निराश्रित गोवंशों के चारे-भूसे की व्यवस्था किये जाने हेतु उनके सम्मुख अंकित धनराशि के अनुसार **कुल ₹457.99 लाख (रुपये चार करोड़ सत्तावन्न लाख निन्यानबे हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू लाख में)

क्र.सं.	जनपद का नाम	निकाय का नाम	गौशालाओं में रखे गये पशुओं की संख्या	अवमुक्त की जा रही धनराशि की समयावधि	वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रथम छमाही के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि (50 रूपये प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से)
1	2	3	4	5	6
1.	फर्रूखाबाद	नगर पंचायत नवाबगंज	76	माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर 2026 तक	06.95
2.	इटावा	नगर पालिका परिषद जसवन्तनगर	97	माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर 2026 तक	08.87
3.	एटा	नगर पंचायत जैथरा	200	माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर 2026 तक	18.30
4.	कौशाम्बी	नगर पंचायत करारी	166	माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर 2026 तक	15.18

5.	प्रतापगढ़	नगर पंचायत अन्तू	213	माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर 2026 तक	19.48
6.	हरदोई	नगर पालिका परिषद सण्डीला	421	माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर 2026 तक	38.52
7.	सुलतानपुर	नगर पंचायत लम्भुआ	116	माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर 2026 तक	10.61
8.	प्रतापगढ़	नगर पंचायत सुवंशा बाजार	130	माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर 2026 तक	11.89
9.	बदायूँ	नगर पंचायत बजीरगंज	124	माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर 2026 तक	11.34
10.	सिद्धार्थनगर	नगर पंचायत शोहरतगढ़	175	माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर 2026 तक	16.01
11.	सुलतानपुर	नगर पंचायत कोइरीपुर	40	माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर 2026 तक	03.66
12.	बरेली	नगर पंचायत धौराटांडा	200	माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर 2026 तक	18.30

13.	झाँसी	नगर पंचायत एरच	380	माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर 2026 तक	34.77
14.	अलीगढ़	नगर पंचायत पिसावा	168	माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर 2026 तक	15.37
15.	सुलतानपुर	नगर पंचायत दोस्तपुर	31	माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर 2026 तक	02.83
16.	बलरामपुर	नगर पालिका परिषद बलरामपुर	412	माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर 2026 तक	37.69
17.	लखीमपुर खीरी	नगर पंचायत मैलानी	195	माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर 2026 तक	17.84
18.	अम्बेडकरनगर	नगर पंचायत इल्तिफातगंज	56	माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर 2026 तक	05.12
19.	मुजफ्फरनगर	नगर पंचायत जानसठ	110	माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर 2026 तक	01.06
20.	बरेली	नगर पंचायत शाही	184	माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर 2026 तक	16.83

21.	बस्ती	नगर पालिका परिषद बस्ती	382	माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर 2026 तक	34.95
22.	बलिया	नगर पंचायत बैरिया	85	माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर 2026 तक	07.77
23.	बॉदा	नगर पंचायत बिसण्डाबुजुर्ग	211	माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर 2026 तक	19.30
24.	लखीमपुर खीरी	नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ	262	माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर 2026 तक	23.97
25.	सिद्धार्थनगर	नगर पंचायत बढ़नी बाजार	138	माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर 2026 तक	12.62
26.	महोबा	नगर पंचायत कबरई	493	माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर 2026 तक	45.10
27.	बलिया	नगर पंचायत सहतवार	40	माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर 2026 तक	03.66
कुल योग			**5105**		**457.99**

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों , समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृत जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(3) उक्त शासनादेश में स्वीकृत कार्य के लिए राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से पूर्व में कोई धनराशि स्वीकृत की गयी है अथवा स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो सम्बन्धित नागर निकाय के अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/निदेशक, नगरीय निकाय को तत्काल अवगत करायें।

(4) सम्बन्धित नागर निकाय का यह दायित्व होगा कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(5) स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों को क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।

(6) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निकाय के वित्त नियंत्रक/मुख्य वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी , जैसी भी स्थिति हो , सुनिश्चित करेंगे।

(7) इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/महालेखाकार को दिनांक 31.03.2027 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय करने के लिये पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, नगरीय निकाय, सम्बन्धित नगर आयुक्त एवं सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी का होगा।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों

की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की जा रही धनराशि का प्रत्येक 15 दिन पर निदेशक, नगरीय निकाय एवं सम्बन्धित नगर आयुक्त के द्वारा प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) निदेशक , नगरीय निकाय द्वारा कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत पशुओं के भूसे-चारे आदि की व्यवस्था के लिये अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि को निकायों के द्वारा योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में 07 दिनों के अन्दर नियमानुसार ई-पेमेन्ट के माध्यम से अन्तरित करायी जायेगी।

(12) नगरीय निकायों द्वारा पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को प्रत्येक दशा में एक माह के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,57,99,000 (रुपये चार करोड़ सत्तावन लाख निन्यानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2070008000700 कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
PARAS NATH
Date: 05-10-2026 12:53:07

(पारस नाथ)

अनु सचिव।

संख्या- I/1484992/2026(1)**/006-9-7099-173-2022, तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेख एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3. संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

4. संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0।

5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।

6. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, प्रयागराज

8. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2

9 . गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

पारस नाथ

अनु सचिव।